"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 171] रायपुर, सोमवार, दिनांक 24 अप्रैल 2023 — वैशाख 4, शक 1945

गृह विभाग, सी–अनुभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 6 अप्रैल 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ–4–20/गृह–सी/2023.— राज्य शासन एतद्द्वारा नक्सल पीड़ित व्यक्तियों/परिवारों तथा आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास एवं अन्य व्यवस्था हेतु जारी पुनर्वास कार्ययोजना संबंधी विभागीय आदेश एफ–4–82/2/गृह–सी/2001 दिनांक 16 नवम्बर 2015 एवं समय–समय पर जारी संशोधित आदेशों को अधिक्रमित करते हुए, उक्त कार्ययोजना के अंशो को समाहित कर निम्नानुसार ''छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति'' लागू करता है:–

छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति

शीर्षक-

यह छत्तीसगढ़ राज्य की नक्सलवाद उन्मूलन नीति कहलायेगी। यह इस नीति को लागू किये जाने की तिथि से 05 वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगी। इस नीति का मूलमंत्र होगा-

''विश्वास,विकास एवं सुरक्षा''

प्रस्तावना :-

नक्सल समस्या छत्तीसगढ़ राज्य की ही नहीं अपितु सम्पूर्ण देश की आंतरिक सुरक्षा हेतु एक महत्वपूर्ण चुनौती है। माओवादियों का मुख्य उद्देश्य सशस्त्र क्रांति द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था को नष्ट कर सत्ता की प्राप्ति है। वर्तमान में भारत के कुल 10 राज्यों के 70 जिले पूर्ण या आंशिक रूप से नक्सल समस्या से ग्रसित हैं, इनमें छत्तीसगढ़ राज्य के 14 जिले शामिल हैं। उक्त 14 में से गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 07 जिलों को 'अति नक्सल प्रभावित' जिलों की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें बस्तर रेंज के 06 जिले सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर एवं कांकेर तथा दुर्ग रेंज का अविभाजित जिला राजनांदगॉव सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त 04 जिलों धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद एवं बलरामपुर को 'नक्सल प्रभावित जिले' तथा कोण्डागॉव, कबीरधाम एवं मुंगेली, इन 03 जिलों को 'डिस्ट्रिक्ट ऑफ कन्सर्न' की श्रेणी में रखा गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य, गठन के उपरांत से ही नक्सल समस्या से जूझ रहा है। विगत वर्षो में माओवादियों द्वारा सबसे अधिक घटनायें एवं हिंसा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में कारित की गयी हैं, अतः छत्तीसगढ़ को नक्सली प्रभाव से मुक्त किया जाना आवश्यक है।

नक्सल समस्या के फल स्वरूप छत्तीसगढ़ के कई जिले विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाये हैं। राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु नक्सल समस्या को समूल उन्मूलन किया जाना अत्यन्त आवश्यक है जिस के लिये सुदृढ़ एवं कारगर नीति बनाये जाने की आवश्यकता है। ''विश्वास-विकास-सुरक्षा'' की त्रिवेणी कार्ययोजना के तहत् नक्सल प्रभावित क्षेत्र की जनता का विश्वास हासिल कर विकास कार्यो को गति प्रदान करने के लिए एक सुरक्षित वातावरण निर्मित करना भी इस नीति का उद्देश्य है।

खण्ड–अ

विकास से विश्वास

"विश्वास,विश्वास को उत्पन्न करती है, मैं विश्वास पर भरोसा करता हूँ,
वह जो विश्वास करता है आज तक दुनिया में हारा नहीं है" ।–**महात्मागांधी**

1. 'विकास से विश्वास' का अर्थ यह है कि राज्य के सुदूर इलाकों तथा वनांचल में रहने वाले सभी नागरिकों को विकास का पूरा लाभ प्रदान किया जाए जिससे कि वहाँ रहने वाले सभी व्यक्तियों के मन में शासन तथा लोकतंत्र के प्रति विश्वास जागृत हो।

2. वर्तमान में छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मुख्य रूप से निम्नलिखित समस्याएं विद्यमान हैं:-

a. निम्न खाद्य उत्पादन क्षमता
b. आर्थिक संसाधनों की असमानता
c. कृषि मजदूरी पर अतिनिर्भरता
d. शिक्षा का निम्न स्तर
e. रोजगार के अवसरों की कमी
f. आवागमन एवं संचार साधनों की कमी
g. बच्चों एवं माताओं की उच्च मृत्यु दर
h. बच्चों एवं माताओं में कुपोषण
i. ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का अभाव
j. स्वच्छ पेय जल का अभाव

3. ग्राम पंचायत मूल आधार-

इस नीति के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत को एक यूनिट माना जायेगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बनाई जा रही 'ग्रामीण संपत्ति पंजी' का उपयोग किया जाएगा एवं ग्राम पंचायत के समस्त हितग्राहियों की सूची बनायी जायेगी तथा इसे ग्रामसभा द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किया जायेगा एवं ग्राम पंचायत स्तर के सभी योजनाओं के कार्यों को ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) में शामिल कर, ग्राम सभा से अनुमोदित कराया जाएगा। गॉव में बसने वाले हितग्राहियों एवं प्रत्येक परिवार को नियमानुसार शासकीय योजनाओं का लाभ प्रदान किया जायेगा तथा विशेष रूप से निम्नांकित सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी-

3.1 खाद्य सुरक्षा एवं जल आपूर्ति-

a. शासन की खाद्य सुरक्षा योजनाओं का पूरा लाभ उपलब्ध कराया जाना।

b. नियमानुसार राशन कार्ड प्रदाय किया जाना।

c. पीडीएस दुकान में समस्त आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता।

d. ग्रामीण क्षेत्रों में हेण्डपंप, बोरवेल, जल जीवन मिशन, इत्यादि के माध्यम से शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराया जाना।

3.2 स्वास्थ्य –

a. सुदूर क्षेत्रों के गांवों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित किया जाना।

b. संस्थागत प्रसव, मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्युदर में सुधार हेतु गर्भवती महिलाओं के सर्वांगीण स्वास्थ्य एवं सुरक्षित प्रसव हेतु व्यवस्था।

c. बच्चों के टीकाकरण की व्यवस्था।

d. विभिन्न तत्समय प्रचलित स्वास्थ्य योजनाओं जैसे निःशुल्क स्वास्थ्य सेवायें/चिकित्सकीय सेवायें/हेल्थकेयर हेतु कार्ड, एम्बुलेंस, महतारी सेवा, हाट बाजार क्लीनिक, आदि का लाभ दिया जाना।

e. शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में निर्धारित दवाईयों की उपलब्धता एवं वितरण सुनिश्चित करना।

f. महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बच्चों एवं महिलाओं के कुपोषण को मिटाने हेतु विभागीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन।

3.3 शिक्षा एवं रोजगार-

a. सभी बच्चों की गुणवत्ता युक्त शिक्षा की समुचित व्यवस्था।

b. स्वरोजगार हेतु व्यवसायिक कार्यक्रम, कौशल विकास विभाग की प्रचलित योजनाएं, आदि का प्रभावी क्रिवान्वयन।

c. तत्समय प्रचलित स्वरोजगार हेतु लागू योजनाओं से, नियमानुसार क्षेत्र के हितग्राहियों को जोड़ना।

3.4 कृषि एवं सिंचाई-

a. प्रत्येक गॉव में कृषि भूमि की सिंचाई हेतु उचित प्रबंधन।

b. उन्नत कृषि हेतु जागरूकता,प्रशिक्षण,प्रोत्साहन तथा हितग्राही मूलक योजनाओं से जोड़ना(कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्यपालन, इत्यादि)।

c. ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन्नयन हेतु**'नरवा-गरवा-घुरवा-बाड़ी'** योजना का क्रियान्वयन।

d. नियमानुसार पट्टा उपलब्ध कराया जाना।

3.5 आवास एवं ऊर्जा-

a. आवास योजनांतर्गत नियमानुसार आवास की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

b. प्रत्येक गांव/पारा/टोला/बसाहटों में परंपरागत/गैर-परंपरागत(ग्रिड/ऑफग्रिड)माध्यम से विद्युतीकरण।

c. ऊर्जा विभाग की तत्समय प्रचलित सभी हितग्राही मूलक योजनाओं के लाभ से जोड़ना।

3.6 **डेव्लेपमेंटल हब-**

a. ग्रामों को समूहों में विभक्त कर प्रत्येक समूह में मूलभूत जन सुविधाएं प्रदान करने हेतु एकीकृत डेव्लेपमेंटल हब बनाया जाये। आवश्यकतानुसार सुरक्षा की व्यवस्था की जाए।

b. ग्रामीणों के जीवन-यापन, आय के साधन, शिक्षा, स्वरोजगार, आदि प्रदाय कर, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के प्रयास सभी विकास एजेन्सियों द्वारा किया जाये।

c. प्रत्येक गांव/पारा/टोला/बसाहट को बारह-मासी सड़क से जोड़ने हेतु सड़कों, पुल-पुलियों आदि का निर्माण किया जाना।

d. **"मनवा नवा नार" (मेरा नया गांव)** कार्ययोजना के तहत् बस्तर संभाग के प्रत्येक जिले में सुरक्षा कैम्पों/उनके आस-पास सुरक्षित स्थलों का चयनकर, आमजनता हेतु मूलभूत सुविधाओं सहित अधोसंरचना निर्माण कार्य के लिए, अभिसरण (शासकीय योजनाएं/सी.एस.आर) के माध्यम से, प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करायी जाए।

4. **भागीदारी समिति-**शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्यवन में ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार)नियम 2022 के तहत् ग्राम स्तर पर युक्तियुक्त समितियों का गठन तथा सामान्य क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ पंचायत राज्य अधिनियम 1993 के तहत् युक्तियुक्त समितियों का गठन किया जाएगा।

5. **वन क्षेत्रों हेतु लागू विभिन्न विधिक प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन-**

a. पंचायत(अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार)अधिनियम 1996 एवं छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार)नियम 2022 के तहत् ग्रामीणों के परंपरागत अधिकारों का संरक्षण।

b. अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता)अधिनियम 2006 के तहत् लघु वनोपज का संग्रहण हेतु समर्थन मूल्य एवं वनों के संरक्षण में ग्रामवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करना तथा तेंदूपत्ता(व्यापार विनिमयन)अधिनियम, 1964 के तहत् तेंदूपत्ता संग्रहण हेतु संग्रहण मूल्य का निर्धारण एवं नियतकालीन समीक्षा।

c. अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)अधिनियम 2006 के तहत् व्यक्तिगत वन अधिकार, सामुदायिक वन अधिकार, वन संसाधन अधिकार, जैव विविधता से संबंधित अधिकार, अन्य पारम्परिक अधिकारों का प्रभावी क्रियान्वयन।

सुरक्षा

"अपने आपको खोजने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि
आप अपने आपको दूसरों की सेवा में खोदें"-**श्रीमती इंदिरा गांधी**

6. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षाबलों द्वारा"**समग्र सुरक्षा**"प्रदान करने की योजना के तहत् प्रभावी कार्यवाही करते हुए नक्सलियों के प्रभाव को समाप्त करते हुए, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाना आवश्यक है इसके लिये निम्न कार्यवाही प्रस्तावित है-

7. **सुदृढ़ मूलभूत पुलिसिंग-**

राज्य तथा केन्द्रीय सुरक्षाबलों का सदैव यह प्रयास रहना चाहिए कि वह अपने कार्यक्षेत्र में अच्छी पुलिसिंग व मजबूत सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ उस क्षेत्र में निवासरत् आम नागरिकों का विश्वास जीत सकें। इसके लिए मूलभूत पुलिसिंग के सिद्धांतों का पालन, मानव अधिकारों का सम्मान, महिलाओं-बच्चों एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार के अतिरिक्त, उनकी समस्याओं के निवारण हेतु विधि सम्मत त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करना होगा।

7.1 कैम्पों, विशेष इकाईयों, आसूचना तंत्र तथा सुरक्षा बलों का सुदृढ़ीकरण, उन्नयन एवं आवश्कतानुसार विस्तार।

7.2 सुरक्षा बलों को उच्चस्तरीय प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा प्रशिक्षण अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण।

7.3 जनता-पुलिस के मध्य बेहतर तालमेल-

a. पुलिस का स्थानीय जनता से संवेदनशीलता के साथ बेहतर तालमेल, सतत् सम्पर्क एवं संवाद तथा प्रभावी सामुदायिक पुलिसिंग।
b. नक्सल क्षेत्र में पुलिस विभाग में पात्र स्थानीय निवासियों की भर्ती के अवसरों में वृद्धि व प्राथमिकता दिया जाना।
c. ग्राम अधिकारी के रूप में कार्यरत कोटवार की जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित दिनों में पुलिस थाना में उपस्थिति सुनिश्चित करना।

7.4 समन्वय एवं सहभागिता-

a. समन्वित अन्तर्राज्यीय/अन्तर्जिला अभियान एवं अन्तर्एजेन्सी आसूचनाओं का प्रभावी आदान-प्रदान।
b. नक्सल आधार क्षेत्रों में प्रभावी एवं निरंतर नक्सल विरोधी अभियानों का संचालन।
c. नक्सल उन्मूलन में अन्य विभागों के योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रभावी सहभागिता।
d. यूनिफाईड कमाण्ड में लिये गये निर्णयों का प्रभावी एवं समय-बद्ध क्रियान्वयन।
e. विभिन्न बलों, एजेंसियो के मध्य प्रभावी समन्वय।

7.5 a. नक्सलियों तथा उनके अग्र संगठनों, सप्लाईचेन, सहयोगियों, अर्बन नक्सल,आदि पर प्रभावी निगरानी, कार्यवाही तथा दस्तावेजों का प्रभावी संधारण।
b. विस्फोटकों के परिवहन एवं उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण।

7.6 नक्सल अपराधों की विवेचना/विचारण की, तथा कारागारों में निरूद्ध माओवादियों एवं उन से संबंधित व्यक्तियों की प्रभावी मानिटरिंग।

7.7 **पुलिस परिजनों एवं कार्मिकों के प्रशासन, प्रोत्साहन, मनोबल एवं कल्याण के प्रभावी उपाय किया जाना।**

7.8 **शहीद राज्य पुलिस कार्मिकों के परिजनों के कल्याण हेतु उपाय किया जाना-**

a. शहीद राज्य पुलिस कार्मिकों के परिजनों को समुचित आर्थिक सहायता प्रदाय किया जाना जिसका निर्धारण शासन द्वारा समय-समय पर किया जाए।

b. शहीद कार्मिकों के परिजनों को कृषि भूमि क्रय करने हेतु अधिकतम 20 लाख रूपये की एक मुश्त राशि प्रदान किया जाना। 03 वर्ष के भीतर भूमिक्रय करने पर अधिकतम 02 एकड़ की भूमि पर स्टाम्प डियूटी एव पंजीयन शुल्क में पूर्ण छूट दिया जाना।

c. शहीद कार्मिकों के बच्चों की शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति उपलब्ध करायी जायेगी। शहीद कार्मिकों के बच्चों की उच्चशिक्षा हेतु समुचित व्यवस्था किया जाना।

7.9 नक्सल घटना में निःशक्त होने वाले पुलिस कर्मियों हेतु आवश्यकतानुसार कृत्रिम अंग लगाये जाने हेतु व्यवस्था किया जायेगा।

8. परसेप्शन मेनेजमेंट/ Psy Ops हेतु प्रभावी कार्यवाही किया जाये।

9. राज्य स्तर पर एकीकृत सामुदायिक पुलिसिंग-'आमचो पूना दण्डकारण्य' (हमारा बदलता नवीन, समृद्ध एवं खुशहाल दण्डकारण्य)

उक्त बैनर के तहत् राज्य स्तर पर सामुदायिक पुलिसिंग अंतर्गत निम्नांकित कार्यक्रमों का संचालन किया जाये-

a. स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन एवं दवाईयों का वितरण।

b. मूलभूत आवश्यकता की वस्तुएं जैसे-पाठ्य एवं खेलकूद सामग्री, सिलाई मशीन, साईकिल, कृषि यंत्र, आदि का वितरण।

c. खेल प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन।

d. सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागिता।

e. चलित थानों के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण।

10. नक्सल पीड़ित व्यक्तियों तथा आत्मसमर्पित नक्सलियों का पुनर्वास-

a. नक्सल पीड़ित व्यक्तियों तथा आत्म समर्पित नक्सलियों के पुनर्वास हेतु केन्द्र एवं छ.ग. शासन की नीति के तहत् कार्यवाही की जाएगी।

b. समस्त शासकीय विभाग अपने विभागीय नियमों में उक्त पुनर्वास नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक संशोधन एवं दिशा निर्देश जारी करेंगे।

c. पुनर्वास नीति को लागू करने में होने वाले व्यय की पूर्ति, नीति में उल्लेखित प्रावधानों अनुसार अथवा संबंधित विभागीय स्तर पर की जाएगी।

खण्ड-ब

आत्म समर्पण एवं पुनर्वास नीति

प्रदेश के नक्सल पीड़ित व्यक्तियों/परिवारों तथा आत्मसमर्पित नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़े जाने के उद्देश्य से तथा पर्याप्त सुरक्षा एवं पुनर्वास हेतु शासन द्वारा स्वीकृत आत्म समर्पण एवं पुनर्वास कार्य योजना में निहित प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्यवन सुनिश्चित किया जाये।

1. पुनर्वास कार्य योजना के क्रियान्वयन एवं समीक्षा हेतु निम्न समितियों का गठन किया जाएगा-

a. **जिला स्तरीय समिति**-पुनर्वास से संबंधित कार्य योजना को कार्यान्वित करने व समीक्षा करने के लिये जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें पुलिस अधीक्षक सदस्य-सचिव, जिला वनमंडलाधिकारी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा कलेक्टर द्वारा नामांकित जिले के 02 अन्य शासकीय अधिकारी भी सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त, इस समिति में जिले में कार्यरत केन्द्रीय बलों के प्रतिनिधि को भी शामिल किया जायेगा।

b. **राज्य स्तरीय समिति**-पुनर्वास से संबंधित कार्ययोजना को कार्यान्वित करने व समीक्षा करने के लिये राज्य स्तर पर अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह विभाग की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें पुलिस महानिदेशक, सदस्य रहेंगे एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/ पुलिस महानिरीक्षक (नक्सल अभियान) सदस्य-सचिव तथा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह विभाग द्वारा नामांकित शासकीय अधिकारी सदस्य होंगे।

उपखण्ड (क) - नक्सल पीड़ितों का पुनर्वास

2. **नक्सल पीड़ित व्यक्ति/परिवार से आशय से ऐसे व्यक्ति/परिवार से है :-**

a. जिस व्यक्ति/परिवार के सदस्य की नक्सलियों द्वारा हत्या कर दी गई हो अथवा स्थाई तौर पर शारीरिक रूप से अक्षम कर दिया गया हो अथवा गंभीर रूप से घायल कर दिया गया हो अथवा

b. जिस व्यक्ति/परिवार की चल/अचल संपत्ति को नक्सलियों द्वारा इस स्तर तक क्षति पहुंचा दी गई हो जिससे उसके जीविकोपार्जन में बाधा उत्पन्न होती हो।

c. परिवार के अंतर्गत परिवार के मुखिया, मुखिया की पत्नी, पुत्र, पुत्री, आश्रित माता-पिता एवं आश्रित भाई-बहन शामिल होंगे।

d. शासकीय सेवा में नियुक्ति या किसी भी आर्थिक सुविधा/लाभ के लिए पीड़ित परिवार के किसी अन्य सदस्य का शासकीय सेवा में होना उसकी अर्हता को प्रभावित नहीं करेगा।

e. राज्य अंतर्गत घटित नक्सली हिंसा से पीड़ित व्यक्ति/परिवार में - राहत राशि एवं अन्य सुविधाओं के लिए राज्य के व्यक्ति/परिवार के साथ-साथ अन्य राज्य के व्यक्ति/परिवार भी पात्र होंगे।

f. नीति के तहत् लाभान्वित व्यक्तियों की पहचान/ट्रेकिंग करते हुए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एक ही व्यक्ति को एक ही प्रकरण में पुनः लाभ न दिया जाये। इसे यथासंभव आधार से जोड़ा जाये।

g. जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रमाणित किये गये विशेष सहयोगी के प्रकरणों में, नीति में प्रावधानुसार अतिरिक्त मुआवजा प्रदान किया जा सकेगा।

3. **नक्सली पीड़ित परिवार हेतु प्रक्रिया-**

a. नक्सल पीड़ित व्यक्तियों द्वारा पुनर्वास हेतु पुलिस अधीक्षक को आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर पुलिस अधीक्षक प्रकरण की वस्तुस्थिति का स्वयं परीक्षण कर, प्रकरण आवश्यक दस्तावेजों सहित जिला स्तरीय समिति को अपने अभिमत के साथ अग्रेषित करेंगे।

b. जिला स्तरीय समिति द्वारा नक्सल पीड़ित व्यक्तियों के प्रकरणों को पुलिस अधीक्षक से प्राप्त होने पर, पुनर्वास की कार्यवाही यथाशीघ्र की जाएगी।

c. प्रकरण प्राप्त होने के 60 दिनों के अंदर जिला स्तरीय समिति, यथा संभव उसका निराकरण करेगी। पुनर्व्यवस्थापन की कार्यवाही भी 180 दिन के अंदर, यथासंभव पूरी कर ली जायेगी।

d. पुनर्व्यवस्थापन की कार्यवाही के लिये संबंधित सभी विभागों को अवगत कराया जायेगा तथा प्रत्येक विभाग निर्धारित समयावधि में अपने विभाग से जुड़ी हुई कार्यवाही पूर्ण करेंगे। यदि किसी कारणवश जिला स्तर पर पुनर्व्यवस्थापन के किसी प्रकरण के निराकरण में कठिनाई होगी तो उसे राज्य-स्तरीय अंतर्विभागीय समिति के समक्ष प्रेषित किया जायेगा।

4. नक्सल पीड़ित व्यक्ति/परिवार को राहत एवं पुनर्वास सुविधाऐं-

नक्सल पीड़ितों को जो सुविधाएं/राहत प्रदान किए जाने पर विचार किया जाएगा उन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया है- (A) सुविधाए जिन्हें सभी नक्सल पीड़ित परिवारों को प्रदान करने पर विचार किया जाएगा। (B) सुविधाएं जिन्हें हत्या, स्थाई असमर्थता, गंभीर चोट प्रकरणों में दिए जाने पर विचारण किया जाएगा। इनका उल्लेख पैरा 4.1.1 से 4.2.4 तक किया गया है। विचारण किये जाने वाली सुविधाओं का सार परिशिष्ट 'अ' पर प्रदर्शित है।

(A) <u>सभी नक्सल पीड़ित परिवारों को जिन सुविधाओं को प्रदान करने पर विचार किया जाएगा वह इस प्रकार हैं-</u>

4.1.1 नक्सली हिंसा में किसी आम नागरिक के मृत/शारीरिक रूप से निःशक्त होने/गंभीर रूप से घायल होने अथवा किसी [illegible] से या पूर्ण [illegible] निम्नानुसार राहत/सहायता राशि उपलब्ध कराई जायेगी :-

क्र.	क्षति का विवरण	देय राहत राशि
1.	मृत्यु	05 लाख रूपये *(केन्द्रीय राहत योजना के तहत् निर्धारित राशि इसके अतिरिक्त देय होगी)*
2.	घायल को- (क) स्थायी असमर्थ (ख) गंभीर घायल	 रू.*03* लाख (रू. *तीन* लाख) रू.*02* लाख (रू. *दो* लाख) *(पुलिस के विशेष सहयोगी के स्वयं/परिवार के सदस्यों के प्रकरणों में यह राशि क्रमशः 05 एवं 03 लाख होगी।)* घायलों के उपचार का सम्पूर्ण खर्च राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा। घटना में स्थायी असमर्थ व्यक्ति के कृत्रिम अंग,समाज कल्याण विभाग के द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
3.	चल संपत्ति (अनाज, कपड़े, घरेलू सामान) के	रू. 20 हजार (रू. बीस हजार)

	नुकसान पर	
4.	स्थायी संपत्ति(मकान, दुकान आदि) क्षति पर क. कच्चे मकान ख. पक्के मकान	 रू. 40 हजार (रू. चालीस हजार) रू. 80 हजार (रू. अस्सी हजार)
5.	जीविकोपार्जन के साधन की क्षति जैसे क. बैलगाड़ी, नाव ख. ट्रेक्टर, जीप ग. ट्रक, रोड रोलर, बड़े वाहन	 रू. 40 हजार (रू. चालीस हजार) रू. 04 लाख(रू. चार लाख) रू. 06 लाख (रू. छः लाख)

4.1.2 (अ) नक्सली गतिविधियों के कारण किसी व्यक्ति की संपत्ति को आंशिक या पूर्ण रूप से कोई क्षति पहुंचती है, तो ऐसी संपत्ति की बीमा राशि को छोड़कर निर्धारित मुआवजा दिया जायेगा।

(ब) इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों की संपत्ति का नुकसान होने पर उन्हें अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 एवं अत्याचार निवारण नियम 12 (चार) के अंतर्गत पात्रता होने पर अतिरिक्त राहत राशि आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा भी उपलब्ध करायी जायेगी।

4.1.3 पीड़ित परिवार में ऐसे कम उम्र के बच्चे, जो 18 वर्ष से कम के हों और अध्ययनरत हों, उन्हें समीप के छात्रावास/आश्रम में रहने की सुविधा एवं शिष्यवृत्ति/छात्रवृत्ति ठीक उसी प्रकार उपलब्ध करायी जायेगी, जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों को उपलब्ध करायी जाती है।

4.1.4 (अ) नक्सल पीड़ित व्यक्ति यदि स्वयं की शिक्षा पुनः जारी रखना चाहते हैं अथवा उनके पुत्र-पुत्री शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो उन्हे छात्रवृत्ति की सुविधा, नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर,उपलब्ध करायी जायेगी। नक्सल पीड़ित परिवार के अधिकतम दो बच्चों को, 18 वर्ष की आयु तक, उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ के शासकीय स्कूलों (प्रचलित नियमानुसार) में तथा आवासीय स्कूलों में 12वीं तक प्राथमिकता के आधार पर, निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करायी जायेगी।
(ब) छात्रावास की सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा उनकी योजनांतर्गत की जायेगी।

4.1.5 (अ) नक्सल पीड़ित व्यक्तियों को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न प्रचलित योजनाओं के अंतर्गत नियमानुसार प्राथमिकता देते हुए सहायता दी जायेगी। जिन जिलों/विकास खंडों का चयन इन योजनाओं के अंतर्गत किया गया है, वहां इन योजनाओं के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को स्वरोजगार हेतु आवश्यकतानुसार ऋण तथा अनुदान उपलब्ध कराने में जिला प्रशासन द्वारा प्राथमिकता दी जायेगी। इस संबंध में पीड़ित व्यक्ति को प्रचलित योजनाओं की पूरी जानकारी देते हुए उसकी इच्छा व योग्यतानुसार लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।
(ब) वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा विभाग में प्रचलित स्वरोजगार योजनाओं के क्रियान्वयन में नियमानुसार प्राथमिकता प्रदान करते हुए सहायता प्रदान की जाएगी।

नक्सल पीड़ित महिलाओं को महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा साथ ही उन्हें शासन की प्रचलित योजनाओं का लाभ प्रदान करते हुए, स्वःसहायता समूहों द्वारा संचालित गतिविधि/कुटीर उद्योगों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जायेगा। इनके उत्पादों के विक्रय हेतु बाजार उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया जायेगा।

4.1.7 छत्तीसगढ़ में निवासरत समस्त नक्सल पीड़ित परिवार को नियमानुसार राशन कार्ड जारी किया जाएगा तथा निर्धारित पात्रता एवं दर अनुसार राशन सामग्री प्रदान किया जाएगा।

4.1.8 छत्तीसगढ़ में निवासरत समस्त नक्सल पीड़ित परिवार के लिए प्रचलित स्वास्थ्य योजनाओं जैसे निःशुल्क स्वास्थ्य सेवायें/चिकित्सकीय सेवायें/हेल्थ केयर हेतु कार्ड, आदि का लाभ दिया जायेगा।

4.1.9 (अ) नक्सल पीड़ित परिवार को उर्जा विभाग अंतर्गत संचालित योजना के तहत बी.पी.एल. हितग्राही की तर्ज पर निःशुल्क घरेलू विद्युत कनेक्शन अथवा सौर उर्जा के माध्यम से विद्युत कनेक्शन की सुविधा दी जायेगी। (ब) ऐसे यक्तियों से कृषि पंप के विद्युतीकरण हेतु आवेदन प्राप्त होने पर उर्जा विभाग द्वारा विभागीय योजना अंतर्गत आवेदन का प्राथमिकता पर निराकरण किया जाएगा।

4.1.10 यदि किसी नक्सल पीड़ित व्यक्ति द्वारा नक्सलियों के विरूद्ध अभियान में, पुलिस को विशेष सहयोग दिया गया हो, जिसके कारण उसकी संपत्ति एवं प्राणों की सुरक्षा को वास्तविक खतरा उत्पन्न हो गया हो अथवा किसी ऐसे नक्सल पीड़ित व्यक्ति या उस के परिवार का पुत्र/पुत्री जो पुलिस विभाग में आना चाहता है तथा जिसकी पुलिस विभाग में विशेष उपयोगिता है, ऐसे विशिष्ट प्रकरणों में पुलिस महानिरीक्षक रेंज/नक्सल अभियान/विशेष आसूचना शाखा प्रमुख की सहमति से पुलिस अधीक्षक, ऐसे व्यक्तियों को पुलिस विभाग के अधीन निम्नतम पदों पर, अर्थात आरक्षक, आरक्षक(अर्दली) या उसके समकक्ष पदों पर, योग्यतानुसार नियुक्त कर सकेगा अथवा किसी अन्य विभाग के पदों पर उपरोक्त बिन्दु के अनुसार भर्ती हेतु अनुशंसा सहित जिला स्तरीय समिति को प्रेषित कर सकेगा। आरक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए शिक्षा/शारीरिक मापदंड/आयु में किसी प्रकार की छूट देने के लिए, पुलिस महानिरीक्षक सक्षम होंगे। यह प्रावधान आमजनता के उन व्यक्तियों के लिए ही लागू होगा जिन्होंने नक्सलियों के विरूद्ध मुठभेड़ में पुलिस को विशेष सहयोग किया हो अथवा स्वयमेव आम जनता की रक्षा व शासकीय/अशासकीय संपत्ति की सुरक्षा के दौरान नक्सलियों से मुकाबला किया हो।

(B) अतिरिक्त सुविधाएं/लाभ जिन्हें मात्र हत्या, स्थायी असमर्थता, गंभीर चोट तथा जीविकोपार्जन के कोई साधन नहीं होने वाले नक्सल पीड़ित परिवारों को प्रदान करने पर विचार किया जाएगा -

4.2.1 परिवार के कमान वाले व्यक्ति की हत्या के प्रकरणों तथा पुलिस को विशेष सहयोगी के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति के परिवार में किसी सदस्य की हत्या के प्रकरणों में पीड़ित परिवार के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को यदि वह शासकीय सेवा में नियुक्ति होने की पात्रता रखता हो, तो शासकीय सेवा में नियुक्ति उसी प्रकार दी जाएगी जैसे अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों में दी जाती है। जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर किसी भी विभाग में जिला प्रमुख की सहमति से नियुक्ति की जा सकेगी। चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में छूट देने का अधिकार संभागीय आयुक्त एवं रेंज पुलिस महानिरीक्षक की समिति को होगा। तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु

निर्धारित शैक्षणिक / तकनीकी योग्यता प्राप्तक करने हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रकरण विशेष में **लिये गये निर्णय** की तिथि से, 03 वर्ष का समय प्रदान किया जाएगा। निर्धारित तकनीकी योग्यता

प्राप्त करने हेतु शासन द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था जहॉ संभव हो, किया जाएगा। तकनीकी पदों में भर्ती हेतु तकनीकी मापदण्ड में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी।

4.2.2 ऐसे प्रकरण जिसमें पीड़ित परिवार के कमाने वाले व्यक्ति की हत्या अथवा पुलिस के विशेष सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के परिवार के सदस्य की हत्या हुई है तथा किसी कारण वश शासकीय सेवा प्रदान नहीं की जा सकती है, ऐसे नक्सल पीड़ित परिवारों को इसके एवज में, 15लाख रूपये की एक मुश्त सहायता राशि प्रदान की जायेगी।

4.2.3 ऐसे पीड़ित परिवार द्वारा 03 वर्ष के भीतर कृषि भूमिक्रय करने पर अधिकतम 02 एकड़ की भूमि पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क से पूर्ण छूट दी जाएगी।

4.2.4 असाधारण स्थिति में ऐसे प्रकरणों में जहॉ किसी परिवार के कमाने वाले सदस्य को छोड़कर अन्य किसी सदस्य की हत्या हुई हो अथवा नक्सल हिंसा में गंभीर चोट या स्थाई असमर्थता हुई है तथा जीवकोपार्जन के कोई भी साधन नहीं है एवं सुरक्षा तथा अन्य कारणों को ध्यान में रखते हुए यदि शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में पुनर्वास करना आवश्यक हो, तो विशेष प्रकरणों में शहरी/ग्रामीण योजनाओं के अंतर्गत लाभ पाने हेतु शहरों/ ग्रामीण क्षेत्र में आवास तथा स्वरोजगार की प्रचलित योजनाओं के अंतर्गत शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में भू-खण्ड उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा सकेगी।

5. नक्सली हिंसा से पीड़ित को राहत हेतु प्रदान किये जाने वाले राहत/सहायता राशि गृह विभाग के बजट के अंतर्गत उपलब्ध कराई जायेगी। इस राहत/सहायता राशि को पीड़ित परिवार को प्रदान करने के लिए राशि का आहरण एवं संवितरण, जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा। जिला कलेक्टर का यह दायित्व होगा कि यथा शीघ्र, घटना के 10 दिवस के भीतर, पूरी राशि का भुगतान नक्सली पीड़ित परिवार को हो जाये। बिना पूर्व आबंटन के भी, सुगमता से राशि आहरण हेतु, वित विभाग द्वारा प्रावधान किया जाएगा। उक्त बजट से राशि आहरण एवं वितरण कर, गृह विभाग व वित विभाग को इसकी सूचना तीन दिवस के भीतर भेजेंगे। कलेक्टर द्वारा भुगतान की गई राशि का प्रावधान उसी वित्तीय वर्ष के प्रथम/द्वितीय/तृतीय अनुपूरक अनुमान में कराना आवश्यक होगा।

6. नक्सली पीड़ित व्यक्तियों/परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था तत्समय प्रचलित प्रावधानों के अंतर्गत ही की जायेगी। साथ ही नक्सलियों द्वारा कारित क्षति, उनकी आवश्यकता एवं पृष्ठ भूमि को ध्यान में रखते हुए **उपरोक्त सुविधाओं में से किसी एक अथवा एक से अधिक परंतु अधिकतम चार सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराने का निर्णय जिला स्तरीय समिति** कर सकेगी।

उपखण्ड (ख)-आत्मसमर्पित नक्सलियों का पुनर्वास

7. **आत्मसमर्पित नक्सली से आशय -**

a. भारत शासन/छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विधि विरूद्ध क्रियाकलाप अधिनियम 1967/छ.ग. जनसुरक्षा अधिनियम, 2005 (क्र. 14 सन् 2006) के अंतर्गत कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया(माओवादी) एवं

उसके अग्र संगठन/दण्डकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघ, क्रांतिकारी आदिवासी महिला संघ, कांतिकारी आदिवासी बालक संघ, क्रांतिकारी किसान कमेटी, महिला मुक्ति मंच, आर.पी.सी. अथवा जनताना सरकार, चेतना नाट्य मंच तथा पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया (पी.एल.एफ.आई.), तृतीय प्रस्तुति कमेटी का सदस्य चाहे वह किसी भी पद पर हो एवं शासन द्वारा समय-समय पर इस प्रकार घोषित विधि विरूद्ध नक्सली संगठन का सदस्य हो या रहा हो।

8. आत्मसमर्पित नक्सलियों हेत प्रक्रिया-

a. नक्सली द्वारा आत्म समर्पण करने पर, उनसे पुनर्वास नीति के अंतर्गत राहत प्रदान करने के संबंध में स्वहस्ताक्षरित आवेदन प्राप्त किया जायेगा। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रकरण की वस्तुस्थिति का परीक्षण एवं आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कराते हुए, प्रकरण को अपने अभिमत के साथ जिला स्तरीय समिति को अग्रेषित करेंगे।

b. जिला स्तरीय समिति द्वारा नक्सल पीड़ित व्यक्तियों के प्रकरणों को पुलिस अधीक्षक से प्राप्त होने पर, पुनर्वास की कार्यवाही यथाशीघ्र की जाएगी।

c. प्रकरण प्राप्त होने के 60 दिनों के अंदर जिला स्तरीय समिति, यथासंभव उसका निराकरण करेगी। पुनर्व्यवस्थापन की कार्यवाही भी 180दिन के अंदर, यथा संभव पूरी कर ली जायेगी।

d. पुनर्व्यवस्थापन की कार्यवाही के लिये संबंधित सभी विभागों को अवगत कराया जायेगा तथा प्रत्येक विभाग निर्धारित समयावधि में अपने विभाग से जुड़ी हुई कार्यवाही पूर्ण करेंगे। यदि किसी कारणवश जिला स्तर पर पुनर्व्यवस्थापन के किसी प्रकरण के निराकरण में कठिनाई होगी तो उसे राज्य-स्तरीय अंतर्विभागीय समिति के समक्ष प्रेषित किया जायेगा।

e. जिन नक्सलियों पर रैंक के अनुसार शासन द्वारा ईनाम घोषित हैं, प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त सुविधाएं देने से पूर्व, वह प्रकरण पुलिस मुख्यालय स्तर पर गठित समिति की अनुशंसा उपरांत ही विचारण किये जायेंगे। शेष प्रकरणों में जिला स्तरीय समिति आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास की कार्यवाही स्वतः कर सकेगी।

f. आत्मसमर्पित नक्सली के पुनर्वास में यह सिद्धांत रहेगा कि वह हिंसात्मक गतिविधि छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होते हुए राज्य में शांति स्थापित करने हेतु कार्य करेगा, जिसका अनुसरण अन्य नक्सलियों द्वारा किया जा सकता है।

g. आत्म समर्पित नक्सलियों के पुनर्वास एवं अनुदान आदि दिये जाने में निम्न बातों को दृष्टिगत रखना आवश्यक होगा-

(i) उम्र (ii) शिक्षा (iii) सामाजिक व आर्थिक पृष्ठिभूमि, (iv) व्यवसाय का मापदंड जिसे वह पुनर्वास हेतु स्वीकार करना चाहता है (v) पुनर्वास की विस्तृत योजना (vi) नक्सल उन्मूलन अभियान में सहयोग।

9. आत्मसमर्पित नक्सली को राहत एवं पुनर्वास सुविधाएं-

आत्म समर्पित नक्सलियों हेतु जिन सुविधाओं को प्रदान करने पर विचारण किया जाएगा, उन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया है- (A) सुविधाएं जिन्हें सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों को पात्रता है तथा (B) अतिरिक्त सुविधाएं/लाभ जिन्हें मात्र सक्रिय एवं ईनामी नक्सलियों को दिए जाने पर विचारण किया जाएगा, अन्य को नहीं। इनका उल्लेख पैरा 9.1.1 से 9.2.4 तक किया गया है। विचारण किए जाने वाली सुविधाओं का सार परिशिष्ट 'ब' परप्रदर्शित है।

(A) सुविधाएं जिन्हें सभी आत्म समर्पित नक्सलियों को प्रदान करने पर विचारण किया जाएगा वह इस प्रकार हैं -

समर्पित नक्सली के नाम पर या नक्सली संगठन में उनके द्वारा धारित पदनाम के आधार पर प्राप्त पुरस्कार राशि (दोनों में से जो ज्यादा हो) आत्मसमर्पणकर्ता को दी जाएगी तथा इस प्रकार उपलब्ध कराई गई ईनाम की राशि आत्म समर्पित नक्सली के पुनर्वास के लिए स्वीकृत व्यय में सम्मिलित की जा सकेगी।

(अ) आत्मसमर्पित नक्सली ने यदि शस्त्रों के साथ समर्पण किया है, तो ऐसे समर्पित शस्त्रों के बदले मुआवजे के रूप में शासन द्वारा निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जा सकेगी–

	शस्त्रों के नाम	प्रोत्साहन राशि
1.	एल. एम. जी	रू. 4,50,000
2.	ए. के.-47/त्रिची असाल्ट(TAR)	रू. 3,00,000
3.	2" मोर्टार	रू. 2,50,000
4.	एस. एल. आर./इंसास रायफल	रू. 1,50,000
5.	एक्स 95 असाल्ट रायफल/एमपी-9 टेक्टिकल	रू. 1,00,000
6.	थ्री नाट थ्री रायफल	रू. 75,000
7.	एक्स-केलिबर 5.56 एमएम	रू. 60,000
8.	यूबीजीएल अटेचमेंट	रू. 40,000
9.	315 बोर/12बोर बंदूक/सिंगल शार्ट गन (कंपनी निर्मित)	रू. 30,000
10.	ग्लाग पिस्टल 9 एम एम	रू. 25,000
11.	9 एम एम कार्बाइन/पिस्टल/रिवाल्वर	रू. 20,000
12.	वायरलेस सेट	रू. 5,000
13.	रिमोट डिवाइस/आई.ई.डी.	रू. 3,000
14.	प्रोजेक्टर 13/16/मस्केट सयफल/यूबीजीएल सेल	रू. 2,000/-
15.	विस्फोटक पदार्थ	रू. 1,000 (प्रति किलो)
16.	ग्रेनेड/जिलेटिन राड्स	रू. 500
17.	सभी प्रकार के एम्युनिशन	रू.50 प्रति एम्युनिशन

(ब) नक्सली द्वारा बिना शस्त्र के अथवा शस्त्र के साथ समर्पण करने की स्थिति में, 25,000/- रू. प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी। यह राशि समर्पित शस्त्र के बदले मुआवजे की राशि के अतिरिक्त होगी।

(स) आत्मसमर्पित नक्सली के समर्पण उपरांत भारत सरकार पुनर्वास नीति के तहत गठित समिति की अनुशंसा पर व्यवसायिक प्रशिक्षण में जाने से पूर्व दिनांक (03 माह तक अधिकतम) तक जीविकोपार्जन हेतु उक्त नीति में उल्लेखित प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जायेगा।

9.1.3 आत्मसमर्पित नक्सली पति एवं पत्नी को पृथक-पृथक ईकाई माना जायेगा और उन्हें पुनर्व्यवस्थापित करने के लिए दोनों को पुनर्वास योजना के लाभ दिये जायेंगे। परंतु यह कि, जहॉ किसी प्रचलित योजना के तहत पति पत्नी को एक ही इकाई माना जाने का प्रावधान है, वहॉ उन्हें एक ही इकाई मानते हुए लाभ दिए जाएंगे। उन पर घोषित ईनाम की राशि के संबंध में पृथक-पृथक ईकाई मानकर राशि प्रदान की जायेगी।

9.1.4 (अ) आत्मसमर्पित नक्सली यदि स्वयं की शिक्षा पुनः जारी रखना चाहते हैं अथवा उनके पुत्र-पुत्री प्राप्त कर रहे हैं, तो उन्हे छात्रवृत्ति की सुविधा, नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर, उपलब्ध करायी जायेगी। नक्सल पीड़ित परिवार के अधिकतम दो बच्चों को, 18 वर्ष की आयु तक, उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ के शासकीय स्कूलों (प्रचलित नियमानुसार) में तथा आवासीय स्कूलों में 12वीं तक प्राथमिकता के आधार पर, निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करायी जायेगी।

(ब) छात्रावास की सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा उनकी योजनांतर्गत की जायेगी।

9.1.5 (अ) आत्मसमर्पित नक्सलियों को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न प्रचलित योजनाओं के अंतर्गत नियमानुसार प्राथमिकता देते हुए सहायता दी जायेगी। जिन जिलों/विकास खंडों का चयन इन योजनाओं के अंतर्गत किया गया है, वहां इन योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को स्वरोजगार हेतु आवश्यकतानुसार ऋण तथा अनुदान उपलब्ध कराने में जिला प्रशासन द्वारा प्राथमिकता दी जायेगी। इस संबंध में पीड़ित व्यक्ति को प्रचलित योजनाओं की पूरी जानकारी देते हुए उसकी इच्छा व योग्यतानुसार लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।

(ब) वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा विभाग में प्रचलित स्वरोजगार योजनाओं के क्रियान्वयन में नियमानुसार प्राथमिकता प्रदान करते हुए सहायता प्रदान की जाएगी।

9.1.6 आत्मसमर्पित नक्सली महिलाओं को महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही उन्हें शासन की प्रचलित योजनाओं का लाभ प्रदान करते हुए, स्वःसहायता समूहों द्वारा संचालित गतिविधि/कुटीर उद्योगों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जायेगा। इनके उत्पादों के विक्रय हेतु बाजार उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया जायेगा।

9.1.7 छत्तीसगढ़ में निवासरत आत्मसमर्पित नक्सली को नियमानुसार राशन कार्ड जारी किया जाएगा तथा निर्धारित पात्रता एवं दर अनुसार राशन सामग्री प्रदान किया जाएगा।

9.1.8 छत्तीसगढ़ में निवासरत आत्मसमर्पित नक्सली परिवार के लिए प्रचलित स्वास्थ्य योजनाओं जैसे निःशुल्क स्वास्थ्य सेवायें/चिकित्सकीय सेवायें/हेल्थकेयर हेतु कार्ड, आदि का लाभ दिया जायेगा।

9.1.9 (अ) आत्मसमर्पित नक्सली को उर्जा विभाग अंतर्गत संचालित योजना के तहत बी.पी.एल. हितग्राही की तर्जपर निःशुल्क घरेलू विद्युत कनेक्शन अथवा सौर उर्जा के माध्यम से विद्युत कनेक्शन की सुविधा दी जायेगी।

(ब) ऐसे व्यक्तियों से कृषि पंप के विद्युतीकरण हेतु ओवदन प्राप्त होने पर उर्जा विभाग द्वारा विभागीय योजना अंतर्गत आवेदन का प्राथमिकता पर निराकरण किया जाएगा।

9.1.10 आत्मसमर्पित नक्सली के Reverse Vasectomy के आपरेशन/शल्य चिकित्सा पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति जिला स्तरीय समिति द्वारा इस नीति के तहत की जाएगी, बशर्ते कि आपरेशन राज्य से मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में किया गया हो।

9.1.11 ऐसे आत्मसर्पित नक्सली जिसे आत्मसमर्पण के कारण अपनी जान का खतरा उत्पन्न हो गया है अथवा जो स्थानीय रूप से पुलिस को सहयोग कर रहे हैं, आत्मसमर्पण उपरांत नक्सली को अपने परिवार को रखने हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा चयनित स्थान पर ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में प्रचलित आवास योजना के अंतर्गत आवास प्रदान किया जायेगा अथवा आवास निर्माण हेतु प्रचलित

शासकीय आवास योजना में नियमानुसार त्वरित सहायता के रूप में योजना में प्रावधानित राशि भी प्रदान की जा सकेगी। आवास पूर्ण होने तक सुरक्षा की दृष्टि से आत्मसमर्पित को ट्रांजिट/पुलिस कैम्प में रखा जाने की व्यवस्था की जाएगी।

9.1.12 यदि किसी आत्मसमर्पित नक्सली द्वारा नक्सलियों के विरूद्ध अभियान में पुलिस को विशेष सहयोग दिया गया हो, जिसके कारण उसकी संपत्ति एवं प्राणों की सुरक्षा को वास्तविक खतरा उत्पन्न हो गया हो तो ऐसे विशिष्ट प्रकरणों में पुलिस महानिरीक्षक रेंज/नक्सल अभियान/विशेष आसूचना शाखा प्रमुख की सहमति से पुलिस अधीक्षक, ऐसे व्यक्तियो को पुलिस विभाग के अधीन निम्नतम पदों पर अर्थात आरक्षक, आरक्षक(अर्दली) या उसके समकक्ष पदों पर योग्यतानुसार नियुक्त कर सकेगा अथवा किसी अन्य विभाग के पदों पर, उपरोक्त बिन्दु के अनुसार भर्ती हेतु अनुशंसा सहित जिला स्तरीय समिति को प्रेषित कर सकेगा। यह प्रावधान उन आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए ही लागू होगा जिन्होंने नक्सलियों के विरूद्ध मुठभेड़ में पुलिस को विशेष सहयोग किया हो अथवा स्वयंमेव आम जनता की रक्षा व शासकीय/अशासकीय संपत्ति की सुरक्षा के दौरान नक्सलियों से मुकाबला किया हो।

(B) **<u>अतिरिक्त सुविधाएं/लाभ जिन्हें मात्र सक्रिय ईनामी आत्मसमर्पित नक्सलियों को प्रदान करने पर विचारण किया जाएगा वह इस प्रकार हैं-</u>**

9.2.1 सक्रिय 05 लाख या अधिक के ईनामी नक्सली के प्रकरण में आत्मसमर्पित नक्सली या उसके परिवार के सदस्य में से किसी एक को यदि वह शासकीय सेवा में नियुक्ति होने की पात्रता रखता हो, तो शासकीय सेवा में नियुक्ति किये जाने पर विचार किया जायेगा। जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर किसी भी विभाग में जिला प्रमुख की सहमति से नियुक्ति की जा सकेगी। चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में छूट देने का अधिकार संभागीय आयुक्त एवं रेंज पुलिस महानिरीक्षक की समिति को होगा। तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता प्राप्त करने हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रकरण विशेष में लिये गये निर्णय की तिथि से, 03 वर्ष का समय प्रदान किया जाएगा। निर्धारित तकनीकी योग्यता प्राप्त करने हेतु शासन द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था जहॉ संभव हो, किया जाएगा। तकनीकी पदों में भर्ती हेतु तकनीकी मापदण्ड में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी।

कंडिका 12 के अनुसार तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कम से कम 06 माह तक आत्म समर्पित नक्सली का अच्छा आचरण सिद्ध होने पर, पुलिस अधीक्षक से प्रमाण के आधार पर, ही शासकीय सेवा में लिया जा सकेगा।

9.2.2 सक्रिय 05 लाख या अधिक के इनामी आत्मसमर्पित नक्सली जिन्हे शासकीय सेवा प्रदान नहीं की गयी है, ऐसे आत्मसमर्पित नक्सली को इसके एवज में 10 लाख रूपये की अतिरिक्त एकमुश्त राशि प्रदान की जायेगी। इस राशि को जिला स्तरीय समिति द्वारा किसी बैंक में **आत्मसमर्पित नक्सली के नाम पर**, सावधि जमा कराया जायेगा एवं इससे मिलने वाले ब्याज की राशि को उन्हें प्रदान किया जायेगा। 03 वर्ष की अवधि के पश्चात् आत्मसमर्पित नक्सली के चाल-चलन एवं आचरण की समीक्षा उक्त समिति द्वारा किया जाकर यह राशि एकमुश्त प्रदान की जायेगी।

9.2.3 सक्रिय 05 लाख या अधिक के ईनामी नक्सली द्वारा आत्मसमर्पण के 03 वर्ष के भीतर यदि कोई कृषि भूमि क्रय की जाती है तो अधिकतम 02 एकड़ की सीमा तक क्रय की गई भूमि पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क से पूर्ण छूट दी जाएगी।

9.2.4 असाधारण परिस्थितियों में, सक्रिय 05 लाख से अधिक के ईनामी आत्मसमर्पित नक्सलियों को सुरक्षा तथा अन्य कारणों को ध्यान में रखते हुए यदि शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में पुनर्वास करना आवश्यक हो तो विशेष प्रकरणों में शहरी/ग्रामीण योजनाओं के अंतर्गत लाभ पाने हेतु शहरों/ ग्रामीण क्षेत्र में आवास तथा स्वरोजगार की प्रचलित योजनाओं के अंतर्गत शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में भू-खण्ड उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा सकेगी।

10. आत्मसमर्पित नक्सली को राहत हेतु प्रदान किये जाने वाले राहत/सहायता राशि गृह विभाग के बजट के अंतर्गत उपलब्ध कराई जायेगी। इस राहत/सहायता राशि को पीड़ित परिवार को प्रदान करने के लिए राशि का आहरण एवं संवितरण जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा। जिला कलेक्टर का यह दायित्व होगा कि यथाशीघ्र आत्मसमर्पण के 10 दिवस के भीतर पूरी राशि का भुगतान नक्सली परिवार को हो जाये। बिना आबंटन के सुगमता पूर्व राशि आहरण हेतु वित विभाग द्वारा प्रावधान किया जाएगा। उक्त बजट से राशि आहरण एवं वितरण कर गृह विभाग व वित्त विभाग को इसकी सूचना तीन दिवस के भीतर भेजेंगे। कलेक्टर द्वारा भुगतान की गई राशि का प्रावधान उसी वित्तीय वर्ष के प्रथम/द्वितीय/तृतीय अनुपूरक अनुमान में कराना आवश्यक होगा।

11. आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास की व्यवस्था तत्समय प्रचलित प्रावधानों के अंतर्गत ही की जायेगी। साथ ही उनकी आवश्यकता एवं पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए **उपरोक्त सुविधाओं में से किसी एक अथवा एक से अधिक परंतु अधिकतम चार सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराने का निर्णय जिला स्तरीय समिति** कर सकेगी।

12. आत्मसमर्पित नक्सली के विरूद्ध यदि पूर्व में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हो, तो उनके द्वारा नक्सल उन्मूलन में दिये गये योगदान को ध्यान में रखते हुए आपराधिक प्रकरणों को समाप्त करने पर शासन विचार कर सकेगा। आत्मसमर्पित नक्सली के पूर्व में अपराध में संलिप्त होने के बाद भी 06 माह तक उसके चाल चलन को देखने के पश्चात् अच्छे आचरण सिद्ध होने पर शासन द्वारा गठित मंत्रिपरिषद् की उप समिति द्वारा विचार किया जा सकेगा।

13. आत्मसमर्पित नक्सलियों द्वारा पुनर्वास के पश्चात् नक्सली दलों से संपर्क रखने की जानकारी प्राप्त होने पर तथा उसकी पुष्टि किये जाने पर ऐसे आत्मसमर्पित नक्सलियों को पुनर्वास हेतु उपलब्ध करायी गई ऋण राशि एवं संसाधनों को पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर, जिला कलेक्टर द्वारा राजसात कराने की कार्यवाही की जायेगी।

सामान्य निर्देश :-

14. राज्य शासन द्वारा इस नीति में समय-समय पर संशोधन किया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011, उसके अधीन बनाये गये सभी नियमों एवं समय-समय पर किये गये संशोधनों में विभिन्न सेवाओं हेतु लागू समय सीमा इस नीति में उल्लेखित सेवाओं/बिन्दुओं के लिए यथावत् लागू होंगी।

15. इस नीति के लागू होने की तिथि से छ.ग. शासन के आदेश क्रमांक- एफ-4-82/2/गृह-सी/2001 दिनांक 16 नवम्बर 2015 द्वारा जारी पुनर्वास कार्ययोजना अधिक्रमित मानी जाएगी।

16. चल/स्थायी संपत्ति एवं जीविकोपार्जन साधनों की क्षति पर राहत राशि/पुनर्वास सुविधाओं संबंधी प्रावधान नक्सल पीड़ित निजी व्यक्तियों/परिवारों पर ही लागू होंगे।

17. सभी संबंधित विभाग इस नीति के प्रावधानों को लागू किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर नियमों/प्रावधानों में 60 दिन में संशोधन करेंगे एवं आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेंगे।

हस्ता./–

(डी.पी. कौशल)
उप–सचिव.

परिशिष्ट (अ)

(खण्ड ब/ पैरा 4 से संबंधित)

सुविधाएं जिन्हें नक्सल पीड़ित परिवारों को प्रदान करने हेतु विचारण किया जाएगा

क्र.	पैरा	प्रावधान के मुख्य बिंदु	विचारण हेतु प्रकरण		
			सभी नक्सल पीड़ित परिवारों हेतु	हत्या, गंभीर चोट, असमर्थता एवं जीवकोपार्जन साधन नहीं	परिवार के कमाने वाले व्यक्ति की हत्या, पुलिस के विशेष सहयोगी के परिवार में हत्या
1	4.1.1	मृत्यु, घायल, संपत्ति क्षति पर मुआवजा	√	√	√
2	4.1.3	18 वर्ष से कम आयु बच्चों को छात्रावास/छात्रवृत्ति	√	√	√
3	4.1.4	स्वयं की शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति, बच्चों की स्कूलों में 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा	√	√	√
4	4.1.5	पंचायत एवं ग्रामीण विकास की योजनाएं/स्वरोजगार हेतु ऋण/अनुदान में प्राथमिकता	√	√	√
5	4.1.6	महिलाओं को महिला एवं बालविकास विभाग की योजनाओं का लाभ स्वःसहायता समूह/कुटीर उद्योगों से जोड़ा जाना	√	√	√
6	4.1.7	नियमानुसार राशन कार्ड/राशन सामग्री	√	√	√
7	4.1.8`	प्रचलित स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ	√	√	√
8	4.1.9	घरेलू विद्युत कनेक्शन, कृषि यंत्र विद्युतीकरण में प्राथमिकता	√	√	√
9	4.1.10	पुलिस को विशेष अभियान में विशेष सहयोग/पुलिस विभाग में विशेष उपयोगिता पर पुलिस विभाग में भर्ती की जा सकेगी	√	√	√
10	4.2.1	शासकीय सेवा में उसी तर्ज पर नौकरी जैसे अनुकंपा प्रकरणों में दी जाती है	-	-	√
11	4.2.2	यदि शासकीय सेवा नहीं दी जा सकती तब 15 लाख रूपये की एकमुश्त सहायता	-	-	√
12	4.2.3	03 वर्ष के भीतर कृषि भूमि क्रय करने पर 02 एकड़ तक भूमि पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क में छूट	-	-	√
13	4.2.4	आसाधारण स्थिति में शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में पुनर्वास की आवश्यकता होने पर शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में भूखण्ड उपलब्ध कराने की कार्यवाही	-	√	√

परिशिष्ट (ब)

(खण्ड ब/ पैरा 9 से संबंधित)

सुविधाएं जिन्हें आत्मसमर्पित नक्सलियों को प्रदान करने हेतु विचारण किया जाएगा

क्र.	पैरा	प्रावधान के मुख्य बिंदु	विचारण हेतु प्रकरण	
			सभी आत्मसमर्पित नक्सली	ईनामी/सक्रिय नक्सलियों हेतु
1	9.1.1	नक्सली के नाम/पदनाम पर घोषित पुरस्कार राशि प्रदान किया जाना	√	√
2	9.1.2 (अ)	शस्त्र के साथ समर्पण पर समर्पित शस्त्र के बदले मुआवजा	√	√
3	9.1.2 (ब)	प्रोत्साहन हेतु 25000/- रूपये की राशि	√	√
4	9.1.2 (स)	भारत सरकार पुनर्वास नीति के तहत् व्यवसायिक प्रशिक्षण पर जाने से पूर्व जीवकोपार्जन हेतु प्रोत्साहन राशि	√	√
5	9.1.4	स्वयं की शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति, बच्चों की स्कूलों में 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा	√	√
6	9.1.5	पंचायत एवं ग्रामीण विकास की योजनाएं/स्वरोजगार हेतु ऋण/अनुदान में प्राथमिकता	√	√
7	9.1.6	महिलाओं को महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं का लाभ स्वःसहायता समूह/कुटीर उद्योगों से जोड़ा जाना	√	√
8	9.1.7	नियमानुसार राशन कार्ड/राशन सामग्री	√	√
9	9.1.8	प्रचलित स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ	√	√
10	9.1.9	घरेलू विद्युत कनेक्शन, कृषि यंत्र विद्युतीकरण में प्राथमिकता	√	√
11	9.1.10	'रिवर्स वेसेक्टॉमी' ऑपरेशन में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति	√	√
12	9.1.11	प्रचलित आवास योजना के तहत् (विशेष परिस्थितियों में) आवास/राशि	√	√
13	9.1.12	पुलिस को विशेष अभियान में विशेष सहयोग/पुलिस विभाग में विशेष उपयोगिता पर पुलिस विभाग में भर्ती की जा सकेगी	√	√
14	9.2.1	शासकीय सेवा में नियुक्ति की पात्रता होने पर शासकीय सेवा में नियुक्ति पर विचारण	–	√
15	9.2.2	शासकीय सेवा प्रदान नहीं किए जाने पर 10 लाख की अतिरिक्त राशि	–	√
16	9.2.3	03 वर्ष के भीतर कृषि भूमि क्रय करने पर 02 एकड़ तक भूमि पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क में छूट	–	√
17	9.2.4	आसाधारण स्थिति में शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में पुनर्वास की आवश्यकता होने पर शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में भूखण्ड उपलब्ध कराने की कार्यवाही	–	√

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2023.